कृषि अनुसंधान केन्द्र,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

कमांक. प./फार्म/कृ.अ.के./बीका./2025/23 दिनांकः 06.05.2025

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीछवाल बीकानेर के कृषि फार्मों (जैसे है जहाँ है) की स्थिति में वर्ष 2025–26 (खरीफ 2025 व रबी 2025–26) के लिए फसलों की खेती हेतु फार्मवार अलग–अलग सीलबंद/मोहरबंद निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र पर आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय से रुपये 500/– जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक : 06.05.2025 से 16.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/निविदादाता अपनी दरें, निर्धारित फार्म में भरकर मय धरोहर राशि डी.डी. के साथ Zonal Director Research, ARS, SKRAU, Bikaner के कार्यालय में दिनांक 16.05.2025 को सभी दस्तावेजों की पूर्ति सहित निविदा सीलबंद लिफाफे में दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवा सकते है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर बाद 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निविदा से संबधित विस्तृत जानकारी, नियम, शर्ते व निविदा फार्म क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के कार्यालय अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.raubikaner.org या स्टेट पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र. स.	चक संख्या	कुल भूमि (हैक्टेयर)	कमाण्ड (हैक्टेयर)	अनकमाण्ड (हैक्टेयर)	न्यूनतम निविदा राशि(रू)/हैक्टेयर	धरोहर राशि (रू)	निविदा फार्म शुल्क (रू)
1.	मुख्य फार्म एवं बीज उत्पादन फार्म II ट्रांसपोर्ट नगर के पास बीछवाल–बीकानेर (1,2 BKM) **(हिस्सा आधारित खेती)**	39.5 हैक्टेयर	39.5 हैक्टेयर	-	-	100000.00	500.00

(एच.एल.देशवाल)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान
Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

G:\RAMNIWAS\HISSA KHETI 2017-18\Hissa Kheti 2025-26\Main Farm.docx

कृषि अनुसंधान केन्द्र,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

हिस्सा आधारित फसलों की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2025–26)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2025–26 / सं.23
निविदा क्रम संख्या	कमांक. प. / फार्म / कृ.अ.के. / बीका. / 2025 / 23 दिनांक 06.05.2025
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / – रूपये नकद / डी.डी. रसीद / डी.डी. संख्या .... दिनांकः–
निविदा वर्ष	2025–26
खेती की अनुमानित अवधि	(खरीफ 2025 से रबी 2025–26 (15.05.2026 तक)
परिशिष्ट संख्या–एक	हिस्सा आधारित फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	06.05.2025 से दिनांक 16.05.2025 को 12.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अतिंम तिथि	16.05.2025 दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	16.05.2025 दोपहर 2.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर

नोटः– निविदा कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अन्तिम तिथि 16.05.2025 को अपराह्न 01.00 बजें तक धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो Assoc. Director (TFL) ARS, Beechwal, Bikaner के पक्ष में देय हो के साथ जमा करानी होगी। धरोहर राशि व पूर्ण भरा हुआ निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

Hawf

(एच.एल.देशवाल)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान
Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

G:\RAMNIWAS\HISSA KHETI 2017-18\Hissa Kheti 2025-26\Main Farm.docx

कृषि अनुसंधान केन्द्र,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

हिस्सा आधारित खेती निविदा –प्रपत्र

निविदादाता / ठेकेदार का नाम (फोटो पहचान प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगावे)	
निविदादाता / ठेकेदार का पता (निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगावे)	
धरोहर राशी डी.डी. न0 / बैंक का नाम व शाखा	
निविदा फार्म शुल्क रसीद संख्या / दिनांक	
कार्य का विवरण	मुख्य फार्म एवं बीज उत्पादन फार्म II ट्रांस्पोर्ट नगर के पास बीछवाल–बीकानेर 35 हेक्टेयर सिंचित (स्प्रिकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहाँ है) की हिस्सा आधारित खेती
उपज का विवरण	हिस्सेदारी
चारा उपज	निविदादाता का हिस्सा 100 प्रतिशत
बीज उपज	निविदादाता का हिस्सा ....प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा ....प्रतिशत

मै...पुत्र / पत्नि श्री...निवासी.. शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैने निविदा में वर्णित सभी शर्तों को पढ़ लिया है और अच्छी तरह समझ लिया है। मैं उल्लेखित सभी शर्तों पर कार्य करने के लिये पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

मै...पुत्र / पत्नि श्री...................................निवासी.. शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल–चलन वाला हूँ मेरा कोई आपराधिक रिकार्ड नही है और ना ही मैं किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित हुआ हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पता..............................

मोबाइल नं...................

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

कृषि अनुसंधान केन्द्र,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

हिस्सा आधारित खेती निविदा –विवरण

क्र.स.	फार्म का नाम	मुख्य फार्म एवं बीज उत्पादन फार्म II ट्रांस्पोर्ट नगर के पास बीछवाल–बीकानेर
1.	कार्य की अवधि	खरीफ 2025 व रबी 2025–26 (15 मई 2026 तक)
2.	धरोहर राशि का विवरण	100000/–(एक लाख रूपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट।
3	फार्म क्षेत्र व कार्य	30 हेक्टर सिंचित (स्प्रिंकलर पद्धति) + 05 हेक्टर असिंचित (कुल 35 हेक्टर) कृषि भूमि (जैसी है जहां है) की हिस्सा आधारित खेती।

कार्य का विवरण एवम भार्ते

1 निविदि फार्म के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड व बैंक खाते का विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाना अति आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2 आवेदक/निविदादाता मानसिक रूप से स्वस्थ (किसी भी तरह का नशा मान्य नहीं होगा) व अच्छे चाल–चलन वाला, जिसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए और आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। निविदादाता को खेती सम्बंधित कार्य का वांछित अनुभव होना चाहिए। आवेदक को उपरोक्त घोषणा का शपथ पत्र और अपनी पहचान सम्बंधी वैधानिक दस्तावेज निविदि प्रपत्र के साथ संलग्न करने होंगे।

3 निविदा कृषि अनुसंधान केन्द्र,बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अन्तिम तिथि 16.06.2025 को अपराह्न 01.00 बजें तक धरोहर राशि 100000/– डिमांड ड्राफ्ट जो Assoc. Director (TFL) Agriculture Research Station, Beechwal, Bikaner के पक्ष में देय हो के साथ जमा करानी होगी। धरोहर राशि व निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4 फार्म पर देय हिस्सा आधारित खेती के क्षेत्रफल एवं फसल का निर्णय फार्म प्रभारी द्वारा किया जायेगा। हिस्सा आधारित खेती का क्षेत्रफल घटाया/बढ़ाया जा सकता है। निविदादाता अपनी इच्छा से फसल एवं फसल के क्षेत्र का निर्णय नहीं कर सकेगा। फसल व क्षेत्र के निर्धारण में निविदादाता का कोई ऐतराज मान्य नहीं होगा। निविदादाता को फार्म प्रभारी/क्षेत्रीय निदेशक के निर्णय को मानने की बाध्यता होगी।

5 फार्म प्रक्षेत्र में उगे पेड़ व अन्य सम्पति को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा नुकसान होने पर निविदादाता से नुकसान की राशि वसूली जायेगी।

6 खेती सम्बंधित समस्त कार्य (package of practices) के अनुसार जैसे खरीफ व रबी फसलों की बुवाई से पूर्व खेत की तैयारी जैसे एक जुताई हेरो से एवं एक कल्टीवेटर से व पाटा लगाना अनिवार्य है, जुताई, पाटा, निराई–गुडाई, सिंचाई, पौधों की छंटाई, रोग व कीट बचाव हेतु स्प्रे व भुरकाव, खाद व उर्वरकों का उपयोग प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय–समय पर पूर्ण करना होगा। इन सभी कार्यो में लगने वाला श्रमिक अवयव एवं खाद, खरपत्तवारनाशी, फफूंद नाशक, कीटनाशक इत्यादि निविदादाता का होगा एवं ट्रेक्टर मय कृषि यंत्र निविदादाता को स्वंय लगाने होंगें, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उपलब्ध नहीं करवायेगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा सिर्फ बीज उपलब्ध करावाया जायेगा।

7 बुआई से लेकर फसल थ्रेसिंग तथा उसके बाद उत्पाद की साफ सफाई करके बोरियों में भरकर, तौलकर तथा गोदाम में रखने तक की सभी प्रकिया में श्रमिक अवयव निविदादाता का होगा। फार्म में कटाई उपरान्त ट्रेक्टर से फसल को थेसिंग Floor पर इकट्ठा करना एवं फसल थ्रेसिंग में थ्रेसंर मय ट्रेक्टर व श्रमिक निविदादाता के होगें। आवश्यकतानुसार सभी निर्देशित कार्य समयावधि में पूर्ण करने की बाध्यता होगी अन्यथा फार्म द्वारा बाहर से श्रमिक लगाकर कार्य पूर्ण करवा लिया जायेगा और श्रम का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।

8 थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण बीज उत्पाद सूखा (नमी की मात्रा 10% से कम) व साफ करवा कर केन्द्र द्वारा लिया जायेगा व चारे की 100 प्रतिशत उपज अवयव निविदादाता का होगा। निविदादाता के हिस्से के बीज उत्पाद की एवज में निविदादाता को उपज जमा कराने के समय स्थानीय मण्डी में प्रचलित मासिक औसत दर से हिस्सा उत्पाद का मूल्य केन्द्र द्वारा निविदादाता को दिया जायेगा, लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता निम्नस्तर की होने पर दर का निर्धारण विभाग द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा निर्धारित मूल्य को मानना निविदादाता की बाध्यता होगी। बीज उत्पादन के लिए की गई खेती पर निविदादाता को अवांछित पौधों की छंटाइ (Roughing) कर गुणवत्ता बनाये रखने की एवज मे, स्थानीय मण्डी भाव की मासिक औसत दर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर या MSP पर भुगतान किया जायेगा । उक्त भुगतान दाना (बीज) पूर्णतया साफ (जैसे डुकली की चुगाइ आदि) करने पर दिया जायेगा।

9 व्यावसायिक फसल उत्पादन में स्थानीय मण्डी की मासिक औसत दर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नही दिया जायेगा, परन्तु बीज(दाना) की सफाई करनी होगी। बीज(दाना) की सफाई से फार्म प्रभारी संतुष्ट नही होता है तो सफाई पुनः करनी

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K. Rajasthan Agril. University
Beechwal Bikaner

पड़ेगी या कार्यालय अपने स्तर पर भी सफाई करवा सकता है, जिसमें लगने वाले व्यय को निविदादाता से वसूला जायेगा।

10 10 प्रतिशत से अधिक नमी का अनाज/बीज जमा नही किया जायेगा। समय के साथ अनाज/बीज में नमी के कम होने से भार के कम होने के मध्यनजर 01 प्रतिशत अनाज/बीज निविदादाता से अधिक लिया जायेगा।

11 निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन/रात को नहर से पानी की सप्लाई पर आधारित होगा। सिंचाई के समय व अवधि का निर्धारण फार्म प्रभारी द्वारा किया जायेगा, निविदादाता उस समय ही सिंचाई कर सकेगा। निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धित पाईप, फव्वारे, बैण्ड, डॉट आदि गिन कर केन्द्र से लिखित रूप से प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सामान की सारी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं कार्य समाप्ति पर सभी सामान सही स्थिति व संख्या में गिन कर लौटाने होंगे। सामान की टूट-फूट व खो जाने की स्थिति में सामान का बाजार मूल्य निविदादाता से वसूला जायेगा। सिंचाई फव्वारे द्वारा ही करनी होगी। सिंचाई का कार्य निविदादाता द्वारा कुशल श्रमिक द्वारा करवाया जायेगा। केन्द्र द्वारा आवश्यक जैसे – सिंचाई व अन्य उपकरण बिजली की मोटर, स्टार्टर, केबज, फयूज इत्यादि जिस अवस्था में निविदादाता को दिया जायेगा उसी अवस्था में फार्म को वापस जमा करवाना होगा। कार्य के दौरान हुई टूट-फुट व रिपेयरिंग का समस्त खर्चा निविदादाता का होगा।

12 प्रक्षेत्र का उपयोग केवल कृषि हेतु ही किया जायेगा एवं सिंचाई पानी का उपयोग केवल कृषि सिंचाई के लिये किया जायेगा अन्य उपयोग मान्य नही होगा। केन्द्र की डिग्गियों में पानी भरना, खालों की सफाई एवं रख-रखाव तथा उपयोग में लिये जाने वाले यंत्र एवं उपकरणों के रख-रखाव की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। ऐसा न करने पर केन्द्र द्वारा उक्त कार्य श्रमिक लगाकर कराये जायेंगे जिसका शुल्क निविदादाता से वसूला जायेगा।

13 सम्पूर्ण कृषि फार्म क्षेत्र की फसलों की सुरक्षा निविदादाता को करनी होगी। आवारा पशु रोकने हेतु तारबंदी ठीक करना आवश्यतानुसार बाड़ लगाना एवं सुरक्षा हेतु श्रमिक लगाना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। जंगली/आवारा पशु या अन्य लापरवाही से फसलों को हुये नुकसान की भरपाई केन्द्र द्वारा निविदादाता से की जायेगी। फार्म पर ठेकेदार के एक श्रमिक प्रतिदिन (दिन रात) उपस्थित होने अनिवार्य है।

14 फार्म से किसी भी तरह की सामग्री को बाहर ले जाने व लाने की लिखित अनुमति फार्म प्रभारी से पूर्व मे लेनी होगी व सामान केवल कार्यालय समय में ही लाया, ले जाया जा सकेगा व कार्यालय अवकाश के दिन पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

15 निविदादाता द्वारा कार्य क्षेत्र में कोई स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा। **निविदादाता को फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकेगा।** ऐसा पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त करली जायेगी।

16 कार्य के दौरान स्वयं और श्रमिक के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति कार्यालय द्वारा देय नही होगी।

17 निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को कार्य का विवरण एवं भार्तों को वर्णित करते हुए, जैसे मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मै उल्लेखित शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ इस आशय का शपथ पत्र 500/-रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कार्यालय को प्रस्तुत करने पर ही कार्य आदेश दिया जायेगा।

18 बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान को होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान का निर्णय अन्तिम होगा जो निविदादाता को मानना होगा।

19 फार्म पर बोयी गयी फसलों में किसी भी अवस्था में यदि खरपतवारों का प्रकोप होता है तो निविदादाता को समय-समय पर उनको उखाड़कर खेत से बाहर फेंकना होगा। यदि निविदादाता ऐसा नहीं करता है तो कार्यालय उक्त कार्य अपने स्तर पर करवाकर होने वाले व्यय को निविदादाता से वसूल करेगा।

20 फार्म पर बोयी गयी फसलों में अकुंरण से थ्रेसिंग कार्य तक कभी भी पक्षियों, आवारा पशु/जंगली जानवर से फसल को होने वाले नुकसान को रोकना निविदादाता का दायित्व होगा। ऐसा नहीं करने पर फसलों की पक्षियों से रखवाली कार्यालय अपने स्तर पर करवायेगा जिस पर होने वाले व्यय को निविदादाता से वसूल जायेगा।

21 वर्ष 2023-24 या 2024-25 का कृषि कार्य अनुभव की प्रमाणित फोटो कॉपी एवं आई.टी.आर. या सी.ए. आडिट बैलेस सीट की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

22 सफल निविदादाता को कार्यालस आदेश देने उपरान्त अनुबंध अवधि में कार्य सन्तोष्रद नहीं पाये जाने पर, निविदादाता को दिये गये कार्यादेश को निर्धारित कमेटी द्वारा समीक्षा करवाकर निविदादाता को दिये गये कार्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

23 बीज उत्पादन फार्म II ट्रांस्पोर्ट नगर के पास लगभग 9.5 हेक्टयर जमीन भी सम्मिलित है जिसमें एक ट्यूबवेल लगा है एवं डिग्गी है जिस पर बूस्टर लगा है। उक्त फार्म पर विद्युत connection एवं ट्रांसफार्मर लगा है जिसका विद्युत उपभोग बिल की राशि ठेकेदार को प्रतिमाह जमा कर रसीद इस कार्यालय में 05 दिवस में जमा करानी होगी।

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पता..........................

मोबाइल नं..................

कृषि अनुसंधान केन्द्र,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

क्रमांक. प./फार्म/कृ.अ.के./बीका./2025/23

दिनांकः 06.05.2025

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीछवाल बीकानेर के कृषि फार्मों (जैसे है जहाँ है) की स्थिति में वर्ष 2025–26 (खरीफ 2025 व रबी 2025–26) के लिए फसलों की खेती हेतु फार्मवार अलग–अलग सीलबंद/मोहरबंद निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र पर आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय से रुपये 500/– जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक : 06.05.2025 से 16.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/निविदादाता अपनी दरें, निर्धारित फार्म में भरकर मय धरोहर राशि डी.डी. के साथ Zonal Director Research, ARS, SKRAU, Bikaner के कार्यालय में दिनांक 16.05.2025 को सभी दस्तावेजों की पूर्ति सहित निविदा सीलबंद लिफाफे में दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवा सकते है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर बाद 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निविदा से संबधित विस्तृत जानकारी, नियम, शर्ते व निविदा फार्म क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के कार्यालय अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.raubikaner.org या स्टेट पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क. स.	चक संख्या	कुल भूमि (हैक्टेयर)	कमाण्ड (हैक्टेयर)	अनकमाण्ड (हैक्टेयर)	न्यूनतम निविदा राशि(रू)/हैक्टेयर	धरोहर राशि (रू)	निविदा फार्म शुल्क (रू)
1.	बीज उत्पादन फार्म – I LRS के पास (3 BKM) **(हिस्सा आधारित खेती)**	22.5 हैक्टेयर	22.5 हैक्टेयर	-	-	100000.00	500.00

(हस्ताक्षर)
(एच.एल.देशवाल)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान
Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

G:\RAMNIWAS\HISSA KHETI 2017-18\Hissa Kheti 2025-26\LRS Fram.docx

कृषि अनुसंधान केन्द्र,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

हिस्सा आधारित फसलों की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2025–26)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2025–26 / सं.23
निविदा क्रम संख्या	कमांक. प./फार्म/कृ.अ.के./बीका./2025/23 दिनांकः–06.05. 2025
निविदा प्रपत्र शुल्क	500/– रूपये नकद/डी.डी. रसीद/डी.डी. संख्या .... दिनांकः–
निविदा वर्ष	2025–26
खेती की अनुमानित अवधि	(खरीफ 2025से रबी 2025–26 (15.05.2026 तक)
परिशिष्ट संख्या–एक	हिस्सा आधारित फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	06.05.2025 से दिनांक 16.05.2025 को 12.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अतिंम तिथि	16.05.2025 दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	16.05.2025 दोपहर 2.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर

नोटः– निविदा कृषि अनुसंधान केन्द्र,बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अन्तिम तिथि 16.05.2025 को अपराह्न 01.00 बजें तक धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो Assoc. Director (TFL) ARS, Beechwal, Bikaner के पक्ष में देय हो के साथ जमा करानी होगी। धरोहर राशि व पूर्ण भरा हुआ निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

Hawf

(एच.एल.देशवाल)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान
Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

G:\RAMNIWAS\HISSA KHETI 2017-18\Hissa Kheti 2025-26\LRS Fram.docx

कृषि अनुसंधान केन्द्र,

(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)

बीछवाल–बीकानेर

हिस्सा आधारित खेती निविदा –प्रपत्र

निविदादाता/ठेकेदार का नाम (फोटो पहचान प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगावे)	
निविदादाता/ठेकेदार का पता (निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगावे)	
धरोहर राशी डी.डी. न0 /बैंक का नाम व शाखा	
निविदा फार्म शुल्क रसीद संख्या/दिनांक	
कार्य का विवरण	बीज उत्पादन फार्म – I LRS के पास (3 BKM) 22 हेक्टेयर सिंचित (स्प्रिकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहाँ है) की हिस्सा आधारित खेती
उपज का विवरण	हिस्सेदारी
चारा उपज	निविदादाता का हिस्सा 100 प्रतिशत
बीज उपज	निविदादाता का हिस्सा ....प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा ....प्रतिशत

मै...पुत्र/पत्नि श्री..निवासी..................................
.... शपथ पूर्वक घोषणा करता /करती हूँ कि मैंने निविदा में वर्णित सभी शर्तों को पढ़ लिया है और अच्छी तरह समझ लिया है। मैं उल्लेखित सभी शर्तों पर कार्य करने के लिये पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

मै...पुत्र/पत्नि श्री...............................निवासी.. शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल–चलन वाला हूँ मेरा कोई आपराधिक रिकार्ड नही है और ना ही मैं किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित हुआ हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पता.........................

मोबाइल नं.................

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

कृषि अनुसंधान केन्द्र,

(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)

बीछवाल–बीकानेर

हिस्सा आधारित खेती निविदा –विवरण

क्र.स.	फार्म का नाम	बीज उत्पादन फार्म– I, एल.आर.एस. के पास, बीछवाल, बीकानेर
1.	कार्य की अवधि	खरीफ 2025 एंव 2025–26 (15 मई 2026 तक)
2.	धरोहर राशि का विवरण	100000/–(एक लाख रूपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट।
3	फार्म क्षेत्र व कार्य	22 हेक्टर सिंचित (स्प्रिंकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहां है) की हिस्सा आधारित खेती।

कार्य का विवरण एवम भार्ते

1 निविदि फार्म के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड व बैंक खाते का विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाना आव यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2 आवेदक/निविदादाता मानसिक रूप से स्वस्थ (किसी भी तरह का नशा मान्य नहीं होगा) व अच्छे चाल–चलन वाला, जिसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए और आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। निविदादाता को खेती सम्बंधित कार्य का वांछित अनुभव होना चाहिए। आवेदक को उपरोक्त घोषणा का शपथ पत्र और अपनी पहचान सम्बंधी वैधानिक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

3 निविदा कृषि अनुसंधान केन्द्र,बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अन्तिम तिथि 16.05.2023 को अपराह 01.00 बजें तक धरोहर राशि 100000/– डिमांड ड्राफ्ट जो Assoc. Director (TFL) Agriculture Research Station, Beechwal, Bikaner के पक्ष में देय हो के साथ जमा करानी होगी। धरोहर राशि व निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4 फार्म पर देय हिस्सा आधारित खेती के क्षेत्रफल एवं फसल का निर्णय फार्म प्रभारी द्वारा किया जायेगा। हिस्सा आधारित खेती का क्षेत्रफल घटाया/बढ़ाया जा सकता है। निविदादाता अपनी इच्छा से फसल एवं फसल के क्षेत्र का निर्णय नहीं कर सकेगा। फसल व क्षेत्र के निर्धारण में निविदादाता का कोई ऐतराज मान्य नहीं होगा। निविदादाता को फार्म प्रभारी/क्षेत्रीय निदेशक के निर्णय को मानने की बाध्यता होगी।

5 फार्म प्रक्षेत्र में उगे पेड़ व अन्य सम्पति को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, नुकसान होने पर निविदादाता से नुकसान की राशि वसूली जायेगी।

6 खेती सम्बंधित समस्त कार्य (package of practices) के अनुसार जैसे खरीफ व रबी फसलों की बुवाई से पूर्व खेत की तैयारी जैसे एक जुताई, हेरो एवं एक कल्टीवेटर व पाटा लगाना अनिवार्य है, जुताई, पाटा, निराई–गुडाई, सिंचाई, पौधों की छंटाई, रोग व कीट बचाव हेतु स्प्रे व भुरकाव, खाद व उर्वरकों का उपयोग प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय–समय पर पूर्ण करना होगा। इन सभी कार्यो में लगने वाला श्रमिक अवयव एवं खाद, खरपतवारनाशी, फंफूंद नाशक, कीटनाशक इत्यादि निविदादाता का होगा एवं ट्रेक्टर मय कृषि यंत्र निविदादाता को स्वंय लगाने होंगें, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उपलब्ध नहीं करवायेगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा सिर्फ बीज उपलब्ध करावाया जायेगा।

7 बुआई से लेकर फसल थ्रेसिंग तथा उसके बाद उत्पाद की साफ सफाई करके बोरियों में भरकर, तौलकर तथा गोदाम में रखने तक की सभी प्रकिया में श्रमिक अवयव निविदादाता का होगा। फार्म में कटाई उपरान्त ट्रेक्टर से फसल को थ्रेसिंग Floor पर इकट्ठा करना एवं फसल थ्रेसिंग में थ्रेसंर मय ट्रेक्टर व श्रमिक निविदादाता के होगें। आवश्यकतानुसार सभी निर्देशित कार्य समयावधि में पूर्ण करने की बाध्यता होगी अन्यथा फार्म द्वारा बाहर से श्रमिक लगाकर कार्य पूर्ण करवा लिया जायेगा और श्रम का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।

8 थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण बीज उत्पाद सूखा व साफ करवा कर केन्द्र द्वारा लिया जायेगा व चारे की 100 प्रतिशत उपज अवयव निविदादाता का होगा। निविदादाता के हिस्से के बीज उत्पाद की एवज में निविदादाता को उपज जमा कराने के समय स्थानीय मण्डी में प्रचलित मासिक औसत दर से हिस्सा उत्पाद का मूल्य केन्द्र द्वारा निविदादाता को दिया जायेगा, लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता निम्न होने पर दर का निर्धारण विभाग द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा निर्धारित मूल्य को मानना निविदादाता की बाध्यता होगी। बीज उत्पादन के लिए की गई खेती पर निविदादाता को अवांक्षित पौधों की छंटाई (Roughing) गुणवत्ता बनाये रखने की एवज मे, स्थानीय मण्डी भाव की मासिक औसत दर या संबधित फसल के न्युनतम समर्थन मूल्य (MSP) जो भी अधिक हो उस पर 10 प्रति त अतिरिक्त जोड़कर भुगतान किया जायेगा । उक्त भुगतान दाना (बीज) पूर्णतया साफ (जैसे डुकली की चुगाइ आदि) करने पर दिया जायेगा।

G:\RAMNIWAS\HISSA KHETI 2017-18\Hissa Kheti 2025-26\LRS Fram.docx

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University

9 व्यावसायिक फसल उत्पादन में स्थानीय मण्डी की मासिक औसत दर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नही दिया जायेगा, परन्तु बीज(दाना) की सफाई करनी होगी। बीज(दाना) की सफाई से फार्म प्रभारी संतुष्ट नही होता है तो सफाई पुनः करनी पड़ेगी या कार्यालय अपने स्तर पर भी सफाई करवा सकता है, जिसमें लगे व्यय को निविदादाता से वसूला जाये।

10 10 प्रतिशत से अधिक नमी का अनाज/बीज जमा नही किया जायेगा। समय के साथ अनाज/बीज में नमी के कम होने से भार के कम होने के मध्यनजर 01 प्रतिशत अनाज/बीज निविदादाता से अधिक लिया जायेगा।

11 निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन/रात को नहर से पानी की सप्लाई पर आधारित होगा। सिंचाई के समय व अवधि का निर्धारण फार्म प्रभारी द्वारा किया जायेगा, निविदादाता उस समय ही सिंचाई कर सकेगा। निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धित पाईप, फव्वारे, बैण्ड, डॉट आदि गिन कर केन्द्र से लिखित रूप से प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सामान की सारी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं कार्य समाप्ति पर सभी सामान संख्या में गिन कर लौटाने होंगे। सामान की टूट–फूट व खो जाने की स्थिति में सामान का बाजार मूल्य निविदादाता से वसूला जायेगा। सिंचाई फव्वारे द्वारा करनी होगी। सिंचाई का कार्य निविदादाता द्वारा कु ाल श्रमिक द्वारा करवाया जायेगा। केन्द्र द्वारा आवश्यक जैसे – सिंचाई व अन्य उपकरण बिजली की मोटर, स्टार्टर, केबिल,फयूज इत्यादि जिस अवस्था में निविदादाता को दिया जायेगा उसी अवस्था में फार्म को वापस जमा करवाना होगा। कार्य के दौरान हुई टूट–फुट व रिपेयरिंग का समस्त खर्चा निविदादाता का होगा।

12 प्रक्षेत्र का उपयोग केवल कृषि हेतु ही किया जायेगा एवं सिंचाई पानी का उपयोग केवल कृषि सिंचाई के लिये किया जायेगा अन्य उपयोग मान्य नही होगा। केन्द्र की डिग्गियों में पानी भरना, खालों की सफाई एवं रख–रखाव तथा प्रयोग में लिये जाने वाले यंत्र एवं उपकरणों के रख–रखाव की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। ऐसा न करने पर केन्द्र द्वारा उक्त कार्य श्रमिक लगाकर कराये जायेंगे जिसका शुल्क निविदादाता से वसूला जायेगा।

13 सम्पूर्ण कृषि फार्म क्षेत्र की फसलों की सुरक्षा निविदादाता को करनी होगी। आवारा पशु रोकने हेतु तारबंदी ठीक करना आवश्यतानुसार बाड़ लगाना एवं सुरक्षा हेतु श्रमिक लगाना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। जंगली/आवारा पशु या अन्य लापरवाही से फसलों को हुये नुकसान की भरपाई केन्द्र द्वारा निविदादाता से की जायेगी। फार्म पर ठेकेदार के एक श्रमिक प्रतिदिन (दिन रात) उपस्थित होने अनिवार्य है।

14 फार्म से किसी भी तरह की सामग्री को बाहर ले जाने व लाने की लिखित अनुमति फार्म प्रभारी से पूर्व मे लेनी होगी व सामान केवल कार्यालय समय में ही लाया, ले जाया जा सकेगा।

15 निविदादाता द्वारा कार्य क्षेत्र में कोई स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा। **निविदादाता को फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकेगा।** ऐसा पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त करली जायेगी।

16 कार्य के दौरान स्वयं और श्रमिक के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति कार्यालय द्वारा देय नही होगी।

17 निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को कार्य का विवरण एवं भार्तो को वर्णित करते हुए, जैसे मुझे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर हैं तथा मै उल्लेखित शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ इस आशय का शपथ पत्र 500/–रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कार्यालय को प्रस्तुत करने पर ही कार्य आदेश दिया जायेगा।

18 बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान को होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान का निर्णय अन्तिम होगा जो निविदादाता को मानना होगा।

19 फार्म पर बोयी गयी फसलों में किसी भी अवस्था में यदि खरपतवारों का प्रकोप होता है तो निविदादाता को समय–समय पर उनको उखाड़कर खेत से बाहर फेंकना होगा। यदि निविदादाता ऐसा नहीं करता है तो कार्यालय उक्त कार्य अपने स्तर पर करवाकर होने वाले व्यय को निविदादाता से वसूल करेगा।

20 फार्म पर बोयी गयी फसलों में अकुंरण से थ्रैसिंग तक कभी भी पक्षियों अवारा पशु/जंगली जानवर से फसल को होने वाले नुकसान को रोकना निविदादाता का दायित्व होगा। ऐसा नहीं करने पर फसलों की पक्षियों से रखवाली कार्यालय अपने स्तर पर करवायेगा जिस पर होने वाले व्यय को निविदादाता से वसूल जायेगा।

21 बोलीदाता/निविदादाता को विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित विद्युत उपभोग शुल्क प्रतिमाह संबधित विभाग में समय पर जमा करवा कर उसकी रसीद बिल जारी होने के 10 दिवस के भीतर–भीतर इस कार्यालय में जमा करानी होगी।

22 वर्ष 2021–22 या 2022–23 का कृषि कार्य अनुभव की प्रमाणित फोटो कॉपी एवं आई.टी.आर. या सी.ए. आडिट बैलेस सीट की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

23 सफल निविदादाता को कार्यालय आदेश देने उपरान्त अनुबंध अवधि में कार्य सन्तोप्रद नहीं पाये जाने पर, निविदादाता को दिये गये कार्यादेश को निर्धारित कमेटी द्वारा समीक्षा करवाकर निविदादाता को दिये गये कार्यालय आदेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पता..............................

मोबाइल नं...................

कृषि अनुसंधान केन्द्र,

(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)

बीछवाल–बीकानेर

क्रमांक. प./फार्म/कृ.अ.के./बीका./2025/23 दिनांक: 06.05.2025

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीछवाल बीकानेर के कृषि फार्मों (जैसे है जहाँ है) की स्थिति में वर्ष 2025–26 (खरीफ 2025 व रबी 2025–26) के लिए फसलों की खेती हेतु फार्मवार अलग–अलग सीलबंद/मोहरबंद निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र पर आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय से रुपये 500/– जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक : 06.05.2025 से 16.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/निविदादाता अपनी दरें, निर्धारित फार्म में भरकर मय धरोहर राशि डी.डी. के साथ Zonal Director Research, ARS, SKRAU, Bikaner के कार्यालय में दिनांक 16.05.2025 को सभी दस्तावेजों की पूर्ति सहित निविदा सीलबंद लिफाफे में दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवा सकते है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर बाद 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निविदा से संबधित विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें व निविदा फार्म क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के कार्यालय अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.raubikaner.org या स्टेट पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क. स.	चक संख्या	कुल भूमि (हैक्टेयर)	कमाण्ड (हैक्टेयर)	अनकमाण्ड (हैक्टेयर)	न्यूनतम निविदा राशि(रू)/हैक्टेयर	धरोहर राशि (रू)	निविदा फार्म शुल्क (रू)
1.	बीज उत्पादन फार्म –III.एन एच 15 (489.200 RD & 493.500 RD) **(ठेका आधारित खेती)**	8.0 हैक्टेयर	1.5 हैक्टेयर	6.5 हैक्टेयर	48000.00 (रू)/हैक्टेयर	100000.00	500.00

Hawf

(एच.एल.देशवाल)

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

G:\RAMNIWAS\HISSA KHETI 2017-18\Hissa Kheti 2025-26\NH-15.docx

कृषि अनुसंधान केन्द्र,

(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)

बीछवाल–बीकानेर

ठेका आधारित फसलों की खेती हेतु निविदा (खरीफ 2025से रबी 2025–26)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2025–26 / सं.23
निविदा क्रम संख्या	कमांक. प. / फार्म / कृ.अ.के. / बीका. / 2025 / 23 दिनांकः–06.05.2025
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / – रूपये नकद / डी.डी. रसीद / डी.डी. संख्या .... दिनांकः–
निविदा वर्ष	2025–26
खेती की अनुमानित अवधि	(खरीफ 2025से रबी 2025–26 (15.05.2026 तक)
परिशिष्ट संख्या–एक	ठेका आधारित फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	06.05.2025 से दिनांक 16.05.2025 को 12.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अतिंम तिथि	16.05.2025 दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	16.05.2025 दोपहर 2.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर

नोटः–निविदा कृषि अनुसंधान केन्द्र,बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अन्तिम तिथि 16.05.2025 को अपराह्न 01.00 बजें तक धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो Assoc. Director (TFL) ARS, Beechwal, Bikaner के पक्ष में देय हो के साथ जमा करानी होगी। धरोहर राशि व निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(एच.एल.देशवाल)

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

कृषि अनुसंधान केन्द्र,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

निविदा प्रपत्र

क्र. स.	फार्म का नाम	बीज उत्पादन फार्म III -एन एच 15 (चक 489.200 आर डी व चक 493.500 आर डी)
1.	कार्य की अनुमानित अवधि	(खरीफ 2025 से रबी 2025–26 (15.05.2026 तक)
2.	धरोहर राशि का विवरण	100000/–(एक लाख रूपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट।
3	फार्म क्षेत्र व कार्य	08 हेक्टर सिंचित (स्प्रिंकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहां है) की ठेका आधारित प्रति हैक्टर की दर पर खेती।

कार्य का विवरण एवम शर्ते

1. कृषि अनुसंधान केन्द्र,बीकानेर की 08 हेक्टर सिंचित (स्प्रिंकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहां है) की ठेका आधारित प्रति हैक्टर की दर पर खेती हेतु (खरीफ 2025 से रबी 2025–26 (15.05.2026 तक)के लिए देय है। इस प्रक्षेत्र में पानी संग्रह हेतु डिग्गी है तथा यह प्रक्षेत्र तारबन्दी द्वारा पूर्णतया सुरक्षित है एवं इसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है।
2. निविदा कृषि अनुसंधान केन्द्र,बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अन्तिम तिथि 16.05.2025 को अपराह्न 01.00 बजें तक धरोहर राशि 100000/– डिमांड ड्राफ्ट जो Assoc. Director (TFL) Agriculture Research Station, Beechwal, Bikaner के पक्ष में देय हो के साथ जमा करानी होगी। धरोहर राशि व निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदक/निविदादाता मानसिक रूप से स्वस्थ किसी भी तरह का नशा विहीन व अच्छे चाल–चलन वाला, जिसका कोई आपराधिक रिकार्ड नही हो, होना चाहिए और आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित नही होना चाहिए। निविदादाता को खेती सम्बंधित कार्य का वांछित अनुभव होना चाहिए। आवेदक को उपरोक्त घोषणाओं का शपथ पत्र और अपनी पहचान सम्बंधी वैधानिक दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
4. उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता प्रति हैक्टर ठेका की गणना करते हुए सम्पूर्ण राशि (धरोहर राशि के अलावा) कार्यालय आदेश के 05 दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करवानी होगी।
5. बोलीदाता/निविदादाता या उसके द्वारा कार्य पर रखे गए कर्मचारियों को कृषि फार्म एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर की संपति को नुकसान करने का अधिकार नहीं होगा। बोलीदाता/निविदादाता या उनके कर्मचारी किसी भी अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो अधोहस्ताक्षर द्वारा बोलीदाता/निविदादाता द्वारा कार्यालय में जमा समस्त राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
6. बोलीदाता/निविदादाता को फोटो पहचान पत्र मय पूर्ण पते की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
7. बोलीदाता/निविदादाता को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिंचाई (आबियाना) एवं विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित विद्युत उपभोग शुल्क प्रतिमाह संबधित विभाग में जमा करवा कर उसकी रसीद बिल जारी होने के 10 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
8. प्रक्षेत्र का उपयोग केवल कृषि हेतु ही किया जा सकेगा एवं कृषि हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर द्वारा किसी प्रकार का आदान (खाद,बीज,कीटनाशी, कृषि यन्त्र आदि) उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा।

G:\RAMNIWAS\HISSA KHETI 2017-18\Hissa Kheti 2025-26\NH-15.docx

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

9. बोलीदाता/निविदादाता द्वारा सिंचाई पानी का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही करना होगा। सिंचाई पानी के दुरुपयोग करने पर कार्यालय में जमा समस्त राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

10. स्वीकृत निविदादाता द्वारा सिंचाई का समय (दिन/रात) नहर व पानी की उपलब्धता व वरीयता पर निर्भर करेगा। पानी की डिग्गी व पम्प हाऊस एवं मोटर पम्प व पाईप आदि को नुकसान होने पर उसकी भरपाई बोलीदाता/निविदादाता द्वारा वहन की जाएगी तथा सिंचाई हेतु स्प्रिकंलर/ड्रिप सिस्टम पद्धति ठेकेदार/निविदादाता की होगी।

11. निविदादाता अथवा उसके श्रमिकों का कृषि कार्य के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति/नुकसान के लिए केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई/मुआवजा केन्द्र द्वारा देय नहीं होगा।

12. कोई भी शर्तयुक्त (काउंटर कंडीशन) निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

13. निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार के विवाद कि स्थिति मे न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा। निविदा को बिना कारण बताएं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।

14. सफल निविदादाता को 500 रुपये के नॉन–जूडीशियल स्टांप पर प्रपत्र में संलग्न शपथ पत्र प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा इसके अभाव में निविदा अस्वीकृत कर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

15. निविदादाता द्वारा कार्य क्षेत्र में कोई स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा। निविदादाता फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकेगा। ऐसा पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।

16. फार्म में खालों की सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निवेदाता की होगी ऐसा नहीं करने पर श्रम का व्यय धरोहर राशि मे से काट लिया जायेगा।

17. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कृषि अनुसंधान केन्द्र का बकाया विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित विद्युत उपभोग शुल्क समयवद जमा करवाना होगा अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी या ठेका निरस्त किया जा सकता हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पता.............................

मोबाइल नं...................

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

कृषि अनुसंधान केन्द्र,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

ठेका आधारित खेती निविदा –प्रपत्र

निविदादाता/ठेकेदार का नाम (फोटो पहचान प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगावे)	
निविदादाता/ठेकेदार का पता (निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगावे)	
धरोहर राशि डी.डी. न0 /बैंक का नाम व भााखा	
निविदा फार्म शुल्क रसीद संख्या/दिनांक	
कार्य का विवरण	बीज उत्पादन फार्म III .एन एच 15 (चक 489.900 आर डी (आर) व चक 493.500 आर डी (आर)) बीछवाल–बीकानेर 8 हेक्टेयर सिंचित (स्प्रिकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहाँ है) की ठेका आधारित खेती

क्रं.स.	खेती का स्थान	कार्य का विवरण	धरोहर राशि	डी. डी. न. बैंक का नाम व शाखा	निविदादाता द्वारा दी गई कास्त की दर प्रति हेक्टर 2025–26
1.	कृषि अनुसंधान केन्द्र,**बीकानेर**	8 हेक्टेयर सिंचित (स्प्रिकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहाँ है) की ठेका आधारित खेती **प्रति** हेक्टेयर की दर पर खेती	100000 रु. का डिमांड ड्राफ्ट Assoc. Director (TFL) Agriculture Research Station, Beechwal, Bikaner		

मैं...पुत्र/पत्नि श्री..निवासी.. शपथ पूर्वक घोषणा करता /करती हूँ कि मैने निविदा में वर्णित सभी शर्तों को पढ़ लिया है और अच्छी तरह समझ लिया है। मैं उल्लेखित सभी शर्तो पर कार्य करने के लिये पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

मै.......................................पुत्र/पत्नि श्री.................................निवासी.. शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल–चलन वाला हूँ मेरा कोई आपराधिक रिकार्ड नही है और ना ही मैं किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित हुआ हूँ।

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम ....
पता..........................
मोबाइल नं...................